अनुसूची–१४ –फारम सं0 ६६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 03/2010

(सोनपुर थाना काण्ड सं0 17/10 दिनांक 20.01.10 से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनपुर, सारण।)

बनाम

दारिका प्रसाद साह

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। विपक्षी के द्वारा 12.03.15 को विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.14 की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर उनके विरूद्ध चल रहे वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, चूँकि उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई के उपरान्त दोषमुक्त कर दिया गया है। विपक्षी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 12.03.15 में अनुरोध किया गया है कि उन्हें जप्त खाधान्न से कोई मतलब नहीं है। केवल उनके विरूद्ध चल रहे वाद को समाप्त करने की कृपा की जाय। विपक्षी के द्वारा समर्पित कागजात के आधार पर उनके विरूद्ध चल रहे वाद को समाप्त किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को निर्देश है कि वे इस न्यायालय के आदेश दिनाक 20.02.10 के प्रसंग में अविलंब अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित	

करना सुनिश्चित करें।

अभिलेख की कार्यवाही वंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 271/न्यायालय, दिनांक 21/4/2015

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय। साथ ही, इस न्यायालय के पत्रांक 364/विधि, दिनांक 23.02.10 एवं स्मार सं0 1431/विधि दिनांक 09.07.11 के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपिः- थानाध्यक्ष सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विपक्षी (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्त्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

21/4/15